



श्री खण्डेलवाल वैश्य महासभा हायर एज्यूकेशन फण्ड

गंगा मन्दिर, स्टेशन रोड, जयपुर - 302006

उच्च शिक्षा-आर्थिक सहायता आवेदन पत्र

केवल Engineering, M.B.A., M.B.B.S., B.D.S., C.A., C.S., I.A.S., I.P.S., I.R.S., LAW एवं I.F.S. शिक्षा के लिये

कार्यालय उपयोग हेतु :-

श्री खण्डेलवाल वैश्य महासभा हायर एज्यूकेशन फण्ड समिति की दिनांक मीटिंग में आवेदन-पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया।

आवेदनकर्ता को अध्ययन हेतु रुपये स्वीकृत किये जाते हैं।

खण्डेलवाल वैश्य महासभा हायर एज्यूकेशन फण्ड समिति

चेयरमैन

सैक्रेट्री

आवेदन पत्र के सभी कॉलम स्वच्छता से भरें एवं पीछे लिखे गये डॉक्यूमेंट की जीरोक्स प्रति साथ में अवश्य संलग्न करें इनके अभाव में आपका फार्म स्वीकार्य नहीं होगा।

श्रीयुत् सैक्रेट्री

श्री खण्डेलवाल वैश्य महासभा हायर एज्यूकेशन फण्ड समिति

खण्डेलवाल वैश्य महासभा,

गंगा मन्दिर, स्टेशन रोड, जयपुर-302006

मेरा पुत्र/पुत्री.....

... शिक्षा वर्ष.....

..में अध्ययन करना चाहता है/चाहती है। मैं इसकी पढ़ाई का खर्चा वहन करने में असमर्थ हूँ। कृपया इसे महासभा से आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करें। मैं आर्थिक सहायता सम्बन्धी सभी नियमों का पूर्णतया पालन करूंगा और साथ ही यह भी आश्वासन देता हूँ कि शिक्षा सहायतार्थ धनराशि अन्तिम वर्ष प्रदान की गई सहायता के 36 माह तक सम्पूर्ण राशि वापसी करूंगा/मेरे द्वारा अथवा विद्यार्थी के द्वारा संस्था को वापसी कर दिया जावेगा।

आवेदक

अपना नवीनतम

पासपोर्ट साईज

का रंगीन फोटो

लगावे।

हस्ताक्षर विद्यार्थी हस्ताक्षर पिता/अभिभावक

1. विद्यार्थी सम्बन्धी विवरण

- विद्यार्थी का नाम
(कृपया वही नाम लिखें जो आपके बैंक खाते में लिखा हुआ है।)
- पिता का नाम गोत्र.....
- पूरा पता जहाँ आर्थिक सहायता राशि भिजवाई जावे।
.....
.....
मु.पो.....तहसील.....जिला.....राज्य.....पिन.....
ईमेल आई.डी.
- मो. नं. स्वयं का.....पिता का मो. नं.माता का मो. नं.
- जन्मतिथिविवाहित/अविवाहित.....
- महाविद्यालय का नाम जहाँ आप अध्ययन कर रहे हैं।
क्या यह भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है। प्राप्ति का पत्र संलग्न करें।
- महाविद्यालय का पता
.....फोन नम्बर, कोड फोन
- शिक्षण के दौरान आप जहाँ रह रहे हैं आवास का पता
.....
मकान मालिक का टेलीफोन एवं मोबाईल नं.
- आपने समाज के किसी अन्य संस्था से विगत वर्ष या चालू वर्ष में मदद ली है तो उसका पूर्ण विवरण
.....
- आपके भ्राता/बहिन ने भी आवेदन किया है तो उसका नाम व पता मोबाईल
.....

11. आपने किसी बैंक से शिक्षा सहायतार्थ लोन लिया है तो उसका नाम व पूर्ण राशि विवरण लिखें.....
12. किसी कारण आवेदक / अभिभावक का पता बदल जावे तो ऐसी स्थिति के लिये आपके किसी निकट सम्बन्धी का पूर्ण पता, फोन मोबाईल सहित लिखें.....
13. आपने आर्थिक सहायता की जानकारी किससे प्राप्त की

2. विद्यार्थी के स्वयं के बैंक खाता संख्या सम्बन्धी विवरण

नोट : विद्यार्थी अपने स्वयं के खाते का कौन्सिल चैक आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

(विद्यार्थी का स्वयं का बैंक खाता) बैंक का नाम

बैंक शाखा.....स्थान.....

खाता नम्बर																		RTGS / NEFT / IFC Code	
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

विद्यार्थी के पिताजी के बैंक खाता संख्या सम्बन्धी विवरण

बैंक का नाम

बैंक शाखा.....स्थान.....

खाता नम्बर		RTGS / NEFT / IFC Code	
------------	---	------------------------	---

विद्यार्थी के माताजी के बैंक खाता संख्या सम्बन्धी विवरण

बैंक का नाम

बैंक शाखा.....स्थान.....

खाता नम्बर		RTGS / NEFT / IFC Code	
------------	---	------------------------	---

3. पिछले वर्ष के अध्ययन की अंक तालिका संलग्न करें व निम्न विवरण को भरें

वर्ष	शिक्षण संस्था का नाम	कक्षा	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

4. विद्यार्थी के अध्ययन से सम्बन्धित विवरण

कोर्स का पूरा नाम.....

पूरा कोर्स कितने समय का है।.....

इस कोर्स को करन के पश्चात आपके लिये क्या संभावित मार्ग है ?

पढाई सम्बन्धी खर्चे का विवरण :-

महाविद्यालय में इस वर्ष लगने वाली टर्म फीस (कॉलेज का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें).....

अभिभावक द्वारा वहन किया जाने वाला व्यय.....

5. पिछले वर्षों में महासभा से प्राप्त की गई आर्थिक सहायता राशि का विवरण

[illegible]

6. अभिभावक के सम्बन्ध में विवरण :- (प्रार्थी छात्र/छात्रा से सम्बन्ध)

नाम.....गोत्र.....आयु.....
 पिता का नामगोत्र.....आयु.....
 माता का नामगोत्र.....आयु.....
 पूरा पता.....
 मु.पो.तहसील.....जिला.....राज्य.....पिन.....
 पिता का मोबाईल नम्बरमाताजी का मोबाईल नम्बर
 व्यवसाय/सर्विस.....वार्षिक आय.....

हस्ताक्षर अभिभावक.....

7. महासभा से प्राप्त आर्थिक सहायता राशि आपके अध्ययन में किस प्रकार मदद करेंगी, विवरण लिखें।

महासभा से प्राप्त आर्थिक सहायता मेरे अध्ययन में निम्नलिखित अनुसार मदद करेगी।.....

8. परिवार के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण

क्र.सं.	नाम	आयु	प्रार्थी से सम्बन्ध	वार्षिक आय	यदि पढ़ रहा/पढ़ रही है तो किस कक्षा में।
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

9. प्रार्थी की पूर्ण पारिवारिक आय का विवरण

कमाने वाले का नाम	प्रार्थी से सम्बन्ध	यदि व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय का विवरण व स्थान लिखे कि कहाँ और किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं।	यदि सर्विस करते हैं तो सर्विस का विवरण लिखें। पद का स्पष्ट विवरण व डिपार्टमेन्ट का नाम लिखें।	सम्पूर्ण मासिक आय

नोट:- उपरोक्त आय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, यह अति आवश्यक है। इसके अभाव में आर्थिक सहायता स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।

10. सिफारिश कर्ता का कथन :- (महासभा पदाधिकारी/राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य)

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा.....
सुपुत्र/सुपुत्री.....
नियमित रूप से अध्ययन कर रही है। मैं आवेदनकर्ता से तथा इनके परिवार से परिचित हूँ। और मेरी राय में विद्यार्थी को खण्डेलवाल वैश्य महासभा हायर एजुकेशन फण्ड द्वारा आर्थिक सहायता दिया जाना उचित है। मैं इसकी सहमति देता हूँ। मैं छात्र को अन्तिम वर्ष तक प्रदान की सहायता राशि के पश्चात ली गई आर्थिक सहायता राशि महासभा को वापसी लौटाये जाने के लिये मैं महासभा की मदद करूंगा और इन्हें प्रेरित भी करूंगा/ करूंगी। इसकी मैं जिम्मेदारी लेता/ लेती हूँ। कृपया पारिवारिक स्थिति का विवरण देते हुये जानकारी लिखें। (यह अति आवश्यक है।)
पारिवारिक स्थिति का विवरण:-

महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य का नाम.....पद.....
पता.....
मोबाइल नम्बर.....फोन नम्बर कोड फोन
हस्ताक्षर.....

नोट :- उपरोक्त विवरण को छात्र/छात्रा द्वारा महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के पास जाकर के पूर्ण सत्यता के साथ भरवाना आवश्यक है तथा इनके हस्ताक्षर करवाकर के ही प्रेषित करें। इसके अभाव में विद्यार्थी को छात्रवृत्ति स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा।

11. सिफारिश कर्ता का कथन :- क्षेत्रीय संस्था के अध्यक्ष/मंत्री का नाम मय संस्था की रबर स्टाम्प के आवश्यक है।

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा.....
सुपुत्र/सुपुत्री.....
नियमित रूप से अध्ययन कर रही है। मैं आवेदनकर्ता से तथा इनके परिवार से परिचित हूँ। और मेरी राय में विद्यार्थी को खण्डेलवाल वैश्य महासभा हायर एजुकेशन फण्ड द्वारा आर्थिक सहायता दिया जाना उचित है। मैं इसकी सहमति देता हूँ। मैं छात्र को अन्तिम वर्ष तक प्रदान की सहायता राशि के पश्चात ली गई आर्थिक सहायता राशि महासभा को वापसी लौटाये जाने के लिये मैं महासभा की मदद करूंगा और इन्हें प्रेरित भी करूंगा/ करूंगी। इसकी मैं जिम्मेदारी लेता/ लेती हूँ। कृपया पारिवारिक स्थिति का विवरण देते हुये जानकारी लिखें। (यह अति आवश्यक है।)
पारिवारिक स्थिति का विवरण:-

क्षेत्रीय संस्था के अध्यक्ष/मंत्री का नाम
पता.....
मोबाइल नम्बर.....फोन नम्बर, कोड..... फोन
हस्ताक्षर..... स्टाम्प

12. छात्र का कथन

मैंने आर्थिक सहायता आवेदन पत्र के सभी नियम व जानकारियां पढ़ ली है/ समझ ली है। मैंने आवेदन पत्र में जो विवरण लिखा है यह सत्य है। मैं आर्थिक सहायता सम्बन्धी सभी नियमों का पालन करूंगा और आर्थिक सहायता की कुल रकम को अन्तिम वर्ष तक प्रदान की गई सहायता राशि को 36 माह में संस्था को वापिस करूंगा/करूंगी। जैसा कि मैंने उपर उल्लेख किया है। मैंने आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिये हैं।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का नाम

पूरा पता

मो. नम्बर.....

13. छात्राओं के अभिभावक का कथन

छात्राओं को जो भी आर्थिक सहायता स्वीकृत की जावेगी उसको लौटाने की जिम्मेदारी उनके परिजनों (पिताजी/माताजी) को लेनी होगी, चाहे वे शादी के बाद ससुराल चली जावेगी तो भी छात्रा स्वयं अथवा उनके परिजन (ससुराल/पिहर) दोनों की जिम्मेदारी होगी कि वो पढ़ाई के पश्चात 36 माह में भुगतान हेतु एडवान्स चैक जमा करा दिया जायेगा। जिससे यह योजना भविष्य में अन्य विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक हो सके।

हस्ताक्षर अभिभावक

विद्यार्थी इस पेज की जीरोक्स प्रति अपने पास रखें। किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी होने पर पुनः आपसे मंगवाई जा सकती है।

फोन : 0141-2372430/2374839



श्री स्वण्डेलवाल वैश्य महासभा हायर एज्यूकेशन फण्ड

गंगा मन्दिर, स्टेशन रोड़, जयपुर - 302006

उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता आवेदन-पत्र के लिए रूल्स, रेगुलेशन, जानकारी व निर्देश

1. खण्डेलवाल वैश्य महासभा हायर एज्यूकेशन फण्ड से उच्च शिक्षा सहायतार्थ धन राशि Engineering, M.B.A., M.B.B.S., B.D.S., C.A., C.S., I.A.S., I.P.S., I.R.S., LAW एवं I.F.S. शिक्षा को ही दी जाएगी।
2. आर्थिक सहायता सिर्फ 1 ही डिग्री कोर्स के लिए दी जावेगी। दूसरे कोर्स के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
3. शिक्षा सहायतार्थ के लिए 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य है।
4. विद्यार्थी का कॉलेज में प्रवेश लेकर नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक है।
5. जिस महाविद्यालय में आप अध्ययन करने जा रहे हैं वह भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। (आवेदन पत्र के साथ महाविद्यालय का मान्यता प्राप्त पत्र संलग्न करना है।)
6. शिक्षा सहायतार्थ धनराशि अंतिम वर्ष प्रदान की गयी सहायता के 36 माह तक सम्पूर्ण राशि किश्त के रूप में वापसी करनी होगी। अंतिम वर्ष में स्वीकृत की गयी धनराशि के साथ ही वापसी के पोस्ट डेटेड चैक्स देने होंगे।
7. जिन शिक्षार्थी को यह आर्थिक मदद दी जाएगी उनकी पारिवारिक आय 2,50,000/- से कम होगी, इसके लिए आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
8. छात्र का बैंक खाता होना जरूरी है जिसका एक चैक रद्द किया हुआ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना जरूरी है।
9. सिर्फ भारत में पढ़ने वाले विद्यार्थी का ही आवेदन पत्र स्वीकृत किया जायेगा।
10. शिक्षा सहायतार्थ लोन की राशि कॉलेज में लगने वाली टर्म फीस की पूरी अथवा 75 प्रतिशत योग्यतानुसार दी जायेगी। अतः कॉलेज टर्म फीस लगने वाली राशि का कॉलेज का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।
11. अन्य किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थी को सहायता राशि नहीं दी जाएगी।
12. आर्थिक सहायता आवेदन पत्र के सभी कॉलम को भरे, रिक्त आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।
13. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स का (1) खुद की फोटो (2) गत वर्ष की अंक तालिका (60 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ) (3) अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाणपत्र (4) कॉलेज के नियमित रूप में प्रवेश लेकर पढ़ने का प्रमाण पत्र कॉलेज के लैटरहेड पर प्रिंसिपल के हस्ताक्षर मोहर के सहित (5) कॉलेज में जमा कराई गयी फीस की प्रमाणित फोटोकॉपी (6) महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य की सिफारिश (आवेदन पत्र) इस हेतु आप उनके पास आवेदनपत्र को ले जाकर के आवेदनपत्र में दिए गए स्थान पर उनकी टिप्पणी के साथ हस्ताक्षर कराना आवश्यक, साथ में उनका आई डी प्रूफ भी देवे (7) आपकी खुद के पिताजी / माताजी की आई डी प्रूफ भी देवे। (8) क्षेत्रीय संस्था के अध्यक्ष/मंत्री की सही + रबर स्टैम्प आवेदन पत्र कॉलम में करावे (9) अपने खुद के पते के अलावा अपने निकटतम एक रिश्तेदार का भी स्थाई पता लिखे (10) अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप स्थाई पता भी लिखें। (11) विद्यार्थी अपने स्वयं के खाते का कैंन्सिल चैक आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। (12) शपथ पत्र संलग्न करें।
14. यदि आप अपना कोई डॉक्यूमेंट आवेदन के बाद में महासभा को भेज रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के पीछे आप अपना नाम मोबाईल नम्बर पूर्ण पता भी लिखें।
15. महासभा कार्यालय में आपका आवेदन पत्र दिनांक 31 जुलाई 2017 की सायं 6.00 बजे तक जमा होना आवश्यक होगा।
16. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं क्षेत्रीय संस्था के अध्यक्ष/मंत्री के हस्ताक्षर मय मोहर के द्वारा अनुमोदित करवाकर मय हस्ताक्षर के भिजवाए जिसमें आपके द्वारा लिया गया शिक्षा लोन को वापसी करने की जिम्मेवारी भी वो लेंगे।
17. आवेदन पत्र की फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी।
18. आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरे नहीं होने तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होने की स्थिति में तथा किसी भी प्रकार की गलत सूचनाएं पाए जाने पर फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।
19. जिन छात्रों को 2016-17 में आर्थिक सहायता दी गयी है उनके आवेदन पत्रों पर प्राथमिकता दी जाएगी उक्त छात्र अपना शपथ पत्र आवेदन के साथ ही भेज देवें ताकि उनकी सहायता शीघ्र भिजवा सके।
20. आवेदन पत्र पर राशि का निर्धारण छात्र की शैक्षणिक योग्यता (प्राप्तांक प्रतिशत) तथा परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जायेगा।
21. स्वीकृत आर्थिक सहायता प्रेषण प्रक्रिया - आर्थिक सहायता आपके सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने तथा फार्म के सभी कॉलम सही भरे होने पर ही स्वीकृत की जा सकेगी। आवेदन पत्र के अन्त में लिखे अनुसार 10/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टाइप कराकर तथा आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करवाए गए सिफारिशकर्ताओं से ही हस्ताक्षर करवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र प्राप्त होने पर ही कार्यालय से आपको स्वीकृत राशि का चैक प्रेषित किया जायेगा।
22. आर्थिक सहायता धनवापसी के आधार पर बिना ब्याज दी जाएगी। अंतिम वर्ष की धनराशि के बाद में 36 माह में शिक्षा लोन वापसी करना अनिवार्य होगा।
23. आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति के लिए हायर एज्यूकेशन फण्ड ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा।
24. अस्वीकृत तथा अपूर्ण आवेदन पत्रों के लिए किसी प्रकार का पत्र प्रेषित नहीं होगा।
25. समाज की अन्य किसी भी संस्था से आर्थिक मदद लेने पर आपका आवेदन पत्र रद्द किया जायेगा।
26. आपका ईमेल आईडी होना जरूरी है।
27. All the disputes are subject to the jurisdiction of the court of law at Jaipur (Rajasthan).
28. विद्यार्थी/अभिभावक (पिताजी-माताजी) उपरोक्त सभी नियमों को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिया है और सभी नियमों का पालन करने के लिए वचनबद्ध है।
29. हम दी जाने वाली आर्थिक सहायता आपको निर्धारित समय में वापसी करने के लिए वचनबद्ध है।
30. छात्र अपना शपथ पत्र संलग्न नमूने के अनुसार पूर्ण करवाकर आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।

छात्र का नाम	पिताजी का नाम	माताजी का नाम
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
मोबाईल न.	मोबाईल न.	मोबाईल न.

विद्यार्थी इस पेज की जीरोक्स प्रति अपने पास रखें। किसी भी प्रकार की कमी होने पर पुनः आपसे पूर्ति करवाते हुए दूसरा बनवाकर मंगवाया जा सकता है।



श्री खण्डेलवाल वैश्य महासभा हायर एज्यूकेशन फण्ड

गंगा मन्दिर, स्टेशन रोड, जयपुर - 302006

फोन : 0141-2372430/2374839

शपथ पत्र : नमूना मैटर

निम्नलिखित मैटर में लिखे अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर टाईप करवायें तथा नोटरी से अटेस्टेड करवाने के पश्चात् आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय को भिजवायें। इसके अभाव में आपके आवेदन पत्र पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। कृपया महासभा के पदाधिकारी/का.का. सदस्य के ही हस्ताक्षर करवायें जिनके हस्ताक्षर आपने आवेदन पत्र में करवाये हैं।

शपथ पत्र

मैंपुत्र श्री

निवास का पूर्ण पता

मो. नं. फोन नं.

शिक्षा शिक्षण संस्था का नाम

मे अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने महासभा से उच्च शिक्षा सहायतार्थ लोन रिफण्ड योजना के लिये आवेदन किया है। महासभा द्वारा मेरे आवेदन पत्र पर विचार कर वर्ष 2017-18 के लियेरूपया आर्थिक सहायतार्थ लोन के रूप में स्वीकृत किया है। मैंने महासभा के अलावा किसी अन्य संस्था में या बैंक में आर्थिक सहायता हेतु आवेदन नहीं किया और न ही मुझे किसी अन्य संस्था या बैंक से आर्थिक सहायता स्वीकार हुई है। मैं शपथ पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त विवरण जो लिखा है सत्य है तथा मेरी पढ़ाई समाप्त हो जाने के पश्चात् खण्डेलवाल वैश्य महासभा हायर एज्यूकेशन फण्ड द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता राशि को अनुदान के रूप में वापसी तीन वर्ष (36 माह) के अन्दर किस्त के रूप में लौटा देने की जिम्मेदारी लेता हूँ।

छात्र का नाम..... पिता/अभिभावक का नाम.....

छात्र के हस्ताक्षर..... पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर.....

पूरा पता..... पूरा पता.....

मो.न..... मो.न.....

ई मेल : ई मेल :

सिफारिश कर्ता (गारन्टर) का कथन

हम श्री.....पुत्र श्री.....को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं एवं इनको दी गई आर्थिक सहायतार्थ इनके द्वारा वापिस नही लौटाने पर हम महासभा को आर्थिक सहायतार्थ राशि वापसी किये जाने की जिम्मेवारी लेता हूँ।

महासभा पदाधिकारी/राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य

क्षेत्रीय संस्था के अध्यक्ष/मंत्री

नाम नाम

पद..... पद.....

पता..... पता.....

मोबाइल नम्बर..... मोबाइल नम्बर.....

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

Repayment of Education Loan Chart

Name of student-----

Month From ----- To -----

Instalment of Rs. -----No Cheques-----

Sanction Loan Amount-----Rs.

Sr. No	Date	Cheque Number	Bank Name	Amount	Signature
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

I am giving the post dated cheques against the payment of education loan. I agree and accept that section 138 of negotiable instrument s act 1881(26 of 1881) is applicable to me i also undertake to furnish to the shri khandelwal vaish mahasabha higher education fund the details of my salary as well as of the company /institution of my employment promptly.

Total loan paid Rs.

Signature of Student